

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०-.....186/2016-12.....

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
09/11/2022	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>08/12/2022</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
08/12/22	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <u>अनाबाद</u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>चतराचरी</u> - थाना नं० <u>224</u> खाता सं० <u>7</u> प्लॉट सं० <u>3/36</u> रकबा <u>1.09</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>अनाबाद</u> अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के मंजी-11 के जिल्द सं० <u>III</u> के पृष्ठ सं० <u>18</u> पर जमाबंदी रैयत <u>कमलेश्वर</u> <u>पति राधकिशुन कालभार</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर / सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं	

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।
अभिलेख दिनांक 24/12/2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24/12/22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में अ-दोबली वाट 40-A3/1989-90 से खेती
प्रकारेण, पलामू जमीन 1991-92, 2014-15 एवं 2022-23 की

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।
अभिलेख दिनांक 01/07/2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

01/07/23

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा चारनारी मौजा नं० 224 खाता सं० 7 रकबा 1.00 ए किस्म अनाज खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत/वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूँकि उक्त प्लॉट का किस्म अनाज दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार दोबली वाट 40-A3/1989-90 से खेती जमाबंदी सं० 18/11 के नाम से पंजी-11 में कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 18/11 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू जिला

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
देवगती देवी	चतलचरी	224	7	3/36	1.00	गैमला-भा	जंगल
पति राम प्रभु हुआर						मालिक	झाड़ी

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- ~~जंगल~~ जंगल-झाड़ी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी-II में पंजी-1 के प्राधिकृत कॉलन में देवगती देवी के 10/10/1989-90 द्वारा अनुमति पत्र (नं. 87/1989-90) के अतिरिक्त जोड़ दिया गया।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :- अनुमति पत्र (नं. 87/1989-90)

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अतिरिक्त

अतिरिक्त

अतिरिक्त

(ख) अंचल / अनुमंडल में संघारित बंदोबस्ती पंजी रो :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में संचारित बंदोबस्ती पंजी रो :-

(ग) वाखिले-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

(ख) क्या विनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार, द्वारा निर्गत जमीनदारी एसीब साल-दर-साल निर्गत है? :-

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

प्रतिवेदि श्री ५ माँगा माँगा-चातकी के स्वामी देवन, स्वामी को ५/१६ एका १०० रु. पेज से
१९९१ ज रेत बेवमा देवी प्रति दामद्विष्टा द्वात उतामपा दर्ज हैं परिवर्तन के प्राप्तिवा डॉनमें
कैवर्मा के ए ५३/१९९०-९० दर्ज हैं एत एता गेयमज-भा एत से सर्वोचित हैं वक्षिम् जमल झाडी
दर्ज हैं ईन्पल में दैवार्त कौवस्त पंजी ले मित्रान कने पा इवत एत लही पमाग्मय

भूमि पर मांभधारी का डककना अक्षय्य है अतः इस आधार पर उपरोक्त मांभ अर्थ प्रतीक
होता है अतः अक्षय्य जलवाही है प्रमाण

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जॉय प्रॉविदेन्स का जॉय क्रिया, सही पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुमति दी जा रही है।

करने की अनुमति किता जाता है।

भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू ।

उपायुयत्त,
पलाम् ।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- देवधारी देवी प्रति-राम प्रियुन हुसाथ
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 111 पृष्ठ सं: 18 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
<u>चातरपरी</u>	<u>224</u>	<u>4</u>	<u>3/36</u>	<u>1.00 एकर</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- मूल पंजी-1 में बंदोबस्ती के 170 पृष्ठ 1989-90 वर्ष है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- अमलान्धा प्रामिड
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- अनुमोदित प्राधिकारी द्वारा डाले गए हैं।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- N.A

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- वैधवास्त. के 170 पृष्ठ 1989-90 काय
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

मूल पंजी-1 व काफ़ीक़ में बंदोबस्ती पंजी काय

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>01</u>	<u>161775</u>	<u>14.06.14</u>	<u>2014-15</u>

अफ़.

अफ़.

अफ़. प्रशासक

अफ़.

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० 186 / 20¹⁶⁻¹⁷ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम देवमतिश देवी पति -

राम किशोर पाल

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा चालु चरथाना नं० 224 खाता सं० 7 खेसरा नं० 3/36 रकबा 100 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० 2 के पंजी-II भाग III के पृष्ठ 18 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 26/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

राम किशोर पाल

इसे सख्त ताकिद जाने।



अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।

8114527793